| आदेश की क्रम संख्या व तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 29.09.16 | अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख दिनांक 12.11.16 को उपस्थापित करें। [signature] | |
| 12.11.16 | अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख दिनांक ~~12.11.16~~ 28.12.16 को उपस्थापित करें। [signature] | |
| 28.11.16 | अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्षों को पुनः नोटिस निर्गत करें कि मूल कागजातों के साथ उपस्थित हों। अभिलेख दिनांक 13.01.17 को उपस्थापित करें। [signature] 28.12.16 | |
| 13.01.17 / 17.02.17 | अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख ग्राम-मनापुर, थाना नं-07, खाता सं-63, प्लॉट-705, रकबा-80 डि० पर नकुनी गिरी, पिता-रघुनाथ गिरी एवं पिन्टू गंझू पिता-बिजु गंझू के बीच विवाद से संबंधित है। निर्गत नोटिस के आलोक में प्रथम पक्ष श्री विजय कुमार गिरी, पिता-स्व० नकुनी गिरी द्वारा हुकुमनामा दिनांक 17.08.1945 एवं निबंधित दस्तावेज सं. | |

| आदेश की क्रम संख्या व तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

4036 दिनांक 03.06.1977 एवं 1978-79 से वर्ष 2015-16 तक के राजस्व रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। एवं मूल का अवलोकन भी कराया गया है। द्वितीय पक्ष श्री रिझु गंझू, पिता- बिझु गंझू द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर केवल उपस्थिति दी गई है, परन्तु उनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मौजा- मायापुर, खाता नं०-63, प्लॉट- 705, रकबा- 40डी० RS खतियान में गैर मजरुआ मालिक दर्ज है। भू०पू० जमींदार द्वारा प्रश्नगत भूमि को सादा हुकुमनामा दिनांक 14.05.1945 द्वारा पुरन भोगता वल्द- दमर भोगता को तेतरा गंझू वल्द रूपवा गंझू को खाता-63, प्लॉट- 705, रकबा- 3.00ए० भूमि बन्दोबस्ती में दिया गया था। तेतरा भोगता की पत्नी मो० बिरवा भोगताईन ने निबंधित दस्तावेज सं०- 4036 दिनांक 03.06.1977 द्वारा प्लॉट नं०- 705 से 40डी० भूमि मखुनी गिरी वल्द रघुनाथ गिरी को बिक्री कर दिया। बिक्री के पश्चात से पंजी II में जमाबंदी कायम होकर वर्ष 1978-79 से लगातार अद्यतन राजस्व रसीद मखुनी गिरी के नाम निर्गत हो रहा है।

द्वितीय पक्ष रिझु गंझू द्वारा

| आदेश की क्रम संख्या तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | आपने पक्ष में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया, यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज इनके पास नहीं है। श्री गिरी के यह आरोप है कि टिंकु गंझू वल्द लिंगु गंझू द्वारा 45 से 50 डी० जमीन का मिट्टी काटकर भूमि को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्पष्ट है कि टिंकु गंझू द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाना उक्त भूमि पर इनके हक-हकीयत के दावा को निरस्त करता है। परन्तु जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर मिट्टी काटने का मामला है, यह दूसरे के भूमि पर अवैध रूप से किये गये कृत्य के कारण सक्षम न्यायालय का मामला बनता है। इस मामले के निपटारे के लिए यह न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है।<br><br>अतएव दोनो पक्षो को सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। एवं इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।<br><br>17.2.17<br>अंचल अधिकारी<br>खलारी। | |